

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

स0स0-3/पेन-01-41/2024

आदेश

डा0 अरविन्द कुमार सिंह, सेवानिवृत्त उप निदेशक (सी0एस0टी0), बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, शेखपुरा, पटना जिनकी सेवा निवृत्ति की तिथि 30.09.2024 है, का बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा पुरानी योजना 79 एव नयी योजना 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4185/वि0 दिनांक 13.7.1985 की कड़िका 5 एव अधिसूचना संख्या 2757/वि0 दिनांक 27.04.1998 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(10) 8(1) एवं फैंक्स संवाद 2685/वि0 (2) दिनांक 22.04.1998 के आलोक में कुल रुपये 2,17,344/- (दो लाख सतरह हजार तीन सौ चौवालीस) रुपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) उपर्युक्त संकल्प एवं अधिसूचना तथा नियमों के अन्तर्गत डा0 अरविन्द कुमार सिंह का अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि तक योजना के सदस्य रहने तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप योजना एवं सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना में आदेशानुसार समय-समय पर निर्धारित दर क्रमश 20/- 80/- एवं 120/- रुपये की दर से अंशदान के रूप में अपने वेतन से भुगतान करते रहने के आलोक में जमा राशि की व्याज सहित गणना निम्न प्रकार की जाती है :-

			मूलधन	व्याज	कुल योग
(i)	पुरानी ग्रुप बीमा योजना	-	7120	115094	122214
(ii)	नयी ग्रुप बीमा योजना	-	26712	68418	95130
	कुल योग	-	33832	183512	217344

2,17,344/- (दो लाख सतरह हजार तीन सौ चौवालीस) रुपये मात्र।

3) यह बजट शीर्ष-8011-बीमा एव पेशन निधियों राज्य सरकार के बीमा निधि (व्यय) 107 राज्य सरकार बीमा निधि (1) से विकलनीय होगी।

4) वर्णित राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा करने के पश्चात डा0 अरविन्द कुमार सिंह को उनके वेतनादि संबंधित खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

5) इस राशि की निकासी विपत्र कोड संख्या-00-8011001070001-0002 से की जाएगी।

ह0/-

(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:

746(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 30/12/24

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, शेखपुरा, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन (नया सचिवालय), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 अरविन्द कुमार सिंह, सेवानिवृत्त उप निदेशक (सी0एस0टी0), बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, शेखपुरा, पटना, पत्राचार का पता-ग्राम-रुकनपुरा, पो0-खुसरूपुर, थाना-सालिम्पुर, जिला-पटना, पिन-803202, मो0नं0-9504683608 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एव 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव